

न्यायालय-श्रीष कौलाश शुक्ल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर
जिला-बालाघाट, (म.प्र.)

आप.प्रक.क्रमांक-06/2014

संस्थित दिनांक-06.01.2014

फाईलिंग क.234503000532014

म.प्र. राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र गढ़ी,
जिला-बालाघाट

— — — — — अभियोजन

— / / विरुद्ध / / —

बैरागी यादव पिता रोवन यादव, उम्र-43 वर्ष,
निवासी-ग्राम नवलपुर, थाना गढ़ी, जिला बालाघाट (म.प्र.)

— — — — — आरोपी

— / / / निर्णय / / / —
(आज दिनांक-15/09/2016 को घोषित)

1— आरोपी के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा-325 के अंतर्गत आरोप है कि उसने दिनांक-20.11.2013 को दिन के 3:00 बजे प्रभुलाल ढुलिया का मकान ठाकुर टोला नवलपुर, अंतर्गत थाना गढ़ी में फरियादी प्रभुलाल ढुलिया को सिर व बाएं हाथ की कलाई में लकड़ी से मारकर स्वेच्छया घोर उपहति कारित किया।

2— अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी आहत प्रभुलाल ढुलिया की सूचना के आधार पर रोजनामाचा सान्हा क्रमांक-737, दिनांक-20.11.2013 को निरीक्षक योगेन्द्र सिंह ने फरियादी द्वारा की गई सूचना दर्ज कर सूचना अनुसार प्रभुलाल पिता नैनसिंह ने बताया था कि वह अपने घर के सामने टोकनी बना रहा था, तभी दिन के करीब 3:00 बजे अगरिया यादव का छोटा भाई बांस का फटा हुआ डण्डा लेकर आया था और उससे कहा कि मुर्गी बेचते हो क्या ? उसने मना किया तो आरोपी ने डण्डे से उसे सिर पर तथा बाएं हाथ की कलाई पर मारपीट कर उसे चोट पहुंचाई। आहत की चिकित्सीय जांच कराई जाने पर उसे अस्थिभंग होना पाया गया। प्रकरण की जांच कर विवेचना की गई। आरोपी के विरुद्ध सदर धारा का अपराध पाए जाने से आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक-81/13, धारा-325 भा.द.वि. अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गयी। पुलिस ने अनुसंधान के दौरान घटनास्थल का मौका नक्शा बनाया, गवाहों के बयान लिये गये तथा आरोपी को गिरफ्तार कर विवेचना उपरांत उसके विरुद्ध अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

3- आरोपी के विरुद्ध धारा-325 भा.द.वि. के अंतर्गत आरोप पत्र विरचित किये जाने पर आरोपी के द्वारा अपराध अस्वीकार कर विचारण चाहा गया। आरोपी के द्वारा धारा-313 द.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त कथन में स्वयं को निर्दोष होना कहकर झूठा फंसाया होना बताया गया। आरोपी द्वारा प्रतिरक्षा में बचाव साक्ष्य पेश नहीं की गई है।

4- प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु यह हैं कि:-

1. क्या आरोपी ने दिनांक-20.11.2013 को दिन के 3:00 बजे प्रभुलाल दुलिया का मकान ठाकुर टोला नवलपुर, अंतर्गत थाना गढ़ी में फरियादी प्रभुलाल दुलिया को सिर व बाएं हाथ की कलाई में लकड़ी से मारकर स्वेच्छया घोर उपहति कारित किया ?

विचारणीय बिन्दु का निष्कर्ष :-

5- अभियोजन की ओर से परिक्षित साक्षी भदियाबाई अ.सा.1 ने अपने कथन में कहा है कि वह आरोपी बैरागी यादव को जानती है और फरियादी प्रभुलाल को भी जानती है। उसे घटना के विषय में कोई जानकारी नहीं है। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने घटना के विषय में कोई जानकारी नहीं होना व्यक्त किया है। उसने मौकानक्शा प्रदर्श पी-2 स्वयं के समक्ष नहीं बनाया जाना व्यक्त किया तथा पुलिस कथन प्रदर्श पी-1 पुलिस को नहीं लेख कराया जाना व्यक्त किया।

6- अभियोजन की ओर से परिक्षित साक्षी डॉ.एन.एस. कुमरे अ.सा.2 ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में कहा है कि वह दिनांक-21.11.2013 को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बैहर में चिकित्सा अधिकारी के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को थाना गढ़ी के आरक्षक सोनसिंह द्वारा आहत प्रभुलाल पिता नैनसिंह उम्र-50 वर्ष, निवासी-ग्राम नवलपुर को लाने पर उसके द्वारा चिकित्सीय परीक्षण किया गया। परीक्षण करने पर उसने आहत के शरीर पर तीन चोटें पाई। चोट क्रमांक-1 उसके बाएं हाथ के पार्श्व भाग पर पाई थी। चोट क्रमांक-2 पंजे के अंदर की ओर पाई थी तथा चोट क्रमांक-3 सिर के बांयी तरफ पाई थी। साक्षी ने अपने अभिमत में कहा है कि चोट क्रमांक-1 व 2 के लिए उसने एक्सरे की सलाह दी थी तथा चोट क्रमांक-3 साधारण प्रकृति की थी। आहत को आई चोटें साधारण प्रकृति की थी और किसी कड़ी एवं बोथरी वस्तु से आ सकती थी, जो उसके जांच करने के तीन घंटे के भीतर की थी। उसकी परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-3 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। आहत का उसके द्वारा एक्सरे कराया गया, जिसका एक्सरे प्लेट क्रमांक-977 है, जो आर्टिकल ए-1 है। उक्त आर्टिकल के परीक्षण पर उसने आहत के बाएं हाथ पर अस्थिभंग होना पाया था। उसकी परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-4 है, जिसके ए से

ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि उसने चोट क्रमांक-1 के विषय में अभिमत पुलिस के प्रतिवेदन के आधार पर दिया है। साक्षी ने बचाव पक्ष के इस सुझाव से इंकार किया है कि उसने पुलिसवालों के कहने पर परीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। प्रकरण में फरियादी प्रभुलाल के अदम पता हो जाने से एवं फरारी पंचनामा प्रस्तुत किये जाने से उसकी साक्ष्य न्यायालय के समक्ष नहीं कराई गई है।

7— प्रकरण में फरियादी साक्षी भदियाबाई अ.सा.1 का कहना है कि उसे घटना के विषय में कोई जानकारी नहीं है। चिकित्सक द्वारा दिनांक-21.11.2013 को आहत का चिकित्सीय परीक्षण कर उसके बाएं हाथ पर, बाएं पंजे के अंदर की ओर तथा सिर के बाईं ओर चोट आना पाया था, परंतु स्वयं फरियादी के न्यायालयीन परीक्षण नहीं होने से यह धारणा नहीं की जा सकती कि उपरोक्त चोटें आरोपी द्वारा स्वेच्छया फरियादी/आहत प्रभुलाल के साथ मारपीट किये जाने से उसे कारित की गई थी। ऐसी स्थिति में आरोपी बैरागी यादव द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा-325 के अंतर्गत अपराध किया जाना संदेह से परे प्रमाणित नहीं पाया जाता है। अतः आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-325 भा.द.वि. में संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त किया जाता है।

8— प्रकरण में आरोपी की उपस्थिति बाबद् जमानत मुचलके द.प्र.सं. की धारा-437(क)के पालन में आज दिनांक से 6 माह पश्चात् भारमुक्त समझे जावेंगे।

9— प्रकरण में आरोपी दिनांक-28.05.2014 से दिनांक-11.07.2014 तक न्यायिक अभिरक्षा में निरुद्ध रहा है। उक्त के संबंध में पृथक से धारा-428 द.प्र.सं के प्रावधानों के अंतर्गत प्रमाण पत्र बनाया जावे।

10— प्रकरण में जप्तशुदा एक बांस की लाठी मूल्यहीन होने से अपील अवधि पश्चात् विधिवत् नष्ट किया जावे अथवा अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में घोषित कर हस्ताक्षरित एवं दिनांकित किया गया। मेरे निर्देश पर टंकित किया।

(श्रीष कैलाश शुक्ल)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
बैहर, जिला बालाघाट

(श्रीष कैलाश शुक्ल)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
बैहर, जिला बालाघाट

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)